"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 सितम्बर 2015—भाद्र 27, शक 1937

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2015

क्रमांक एफ-9-21/2011/1-8.—विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18-08-2015 द्वारा श्री ओम प्रकाश यादव, (भा.व.से.-1995) संचालक, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, ऊर्जा विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

2. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री ओम प्रकाश यादव, (भा.व.से.-1995) सचिव, ऊर्जा विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

नया रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2015

क्रमांक एफ 9-21/2011/1-8.—राज्य शासन एतद्द्वारा वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-11/2015/10/भा.व.से. दिनांक 18-08-2015 के अनुक्रम में—

1. श्री के सुब्रमणियम, (भा.व.से.-1984) अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर की सेवाएं वन विभाग द्वारा की गई पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वन विभाग को वापस की जाती है.

2. श्री पी. सी. पाण्डेय, (भा.व.से.-1987) सचिव, कृषि विभाग, मंत्रालय तथा गन्ना आयुक्त की सेवाएं वन विभाग द्वारा की गई पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वन विभाग को वापस की जाती है.

3. श्री के. मुरूगन, (भा.व.से.-1987) सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की सेवाएं वन विभाग द्वारा की गई पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वन विभाग को वापस की जाती है.

4. श्री बी. आनन्द बाबू, (भा.व.से.-1992) सचिव, ऊर्जा विभाग तथा सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सेवाएं वन विभाग द्वारा की गई पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वन विभाग को वापस की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, विशेष सचिव.

LAW AND LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

Naya Raipur, the 27th August 2015

No. 8410/2770/XXI-B/2015.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Shri Aslam Khan S/o Shri Ali Hasan Khan (Category-Unreserved Merit No. 20) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. SAMANTRAY, Principal Secretary.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2015

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22-02-2014 द्वारा श्री विजय सिंह, कार्यपालक निदेशक (टी एण्ड सी) को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित के प्रबंध संचालक के पद पर कार्यकाल दिनांक 28-02-2016 तक बढ़ाया गया था.

2. चूंकि श्री सिंह अपने मूल पद से अधिवार्षिकी आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत दिनांक 31-08-2015 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, अत: आदेश दिनांक 22-02-2014 में आंशिक संशोधन आवश्यक है. तद्नुसार छ.ग.रा.वि. पारेषण कंपनी मर्यादित के अंतर्नियम की कंडिका-77 (iv) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्हें सेवानिवृत्त होने के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 28 फरवरी, 2016 तक के लिए संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित के पद पर संविदा नियुक्ति दी जाती है.

3. श्री विजय सिंह (संविदा) को छत्तीसगढ़ राज्य पारेषण कंपनी मर्यादित के अंतर्नियम की कंडिका 78 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 28-02-2016 तक के लिये छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित का प्रबंध संचालक (संविदा) नियुक्त करता है.

4. संविदा नियुक्ति की अवधि में श्री विजय सिंह को देय वेतन/भत्ते एवं सेवा शर्तों के संबंध में पृथक से आदेश जारी किये जावेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एस. गुर्जर, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2015

क्रमांक एफ 10-14/2015/16.—असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(i) योजना का नाम "सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना" होगा.

(ii) इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत सफाई कर्मकारों को आवश्यक उपकरण गमबूट, दस्ताने, मास्क एवं एप्रन हेतु रुपये 700/- (सात सौ रुपये मात्र) प्रति हितग्राही प्रदाय किया जावेगा.

(iii) सहायता राशि प्रतिवर्ष प्रदाय किया जावेगा.

(iv) यह योजना अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(i) प्रदेश के किसी भी जिले में छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा पंजीकृत सफाई कर्मकार को योजना का लाभ प्रदाय किया जावेगा.

(ii) राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से सहायता प्राप्त करने की स्थिति में हितग्राही को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

(iii) 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु वाले हितग्राही योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे.

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

(i) आवेदक/आवेदिका द्वारा स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जावेगा.

(ii) आवेदन में असंगठित कर्मकार का पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है.

(द) **भुगतान की प्रक्रिया :—**

संबंधित सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि पात्र हितग्राहियों को चेक अथवा उनके बैंक खाते में आरटीजीएस द्वारा भुगतान किया जावेगा.

(ई) **विसंगति का निराकरण :—**

योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2015

क्रमांक/एफ 7-16/2013/10-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के GIM Advisory क्रमांक 2.0, दिनांक 16-12-2011 में निहित निर्देशों एवं तद्विषयक मार्गदर्शी निर्देशों के परिपालन में प्राकृतिक वनों के संरक्षण, जलवायु परिवर्तन का शमन, वनों के घनत्व एवं आच्छादन में वृद्धि, पारिस्थितिकीय तंत्रों का विकास, खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, आश्रित स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकास एवं अन्य वानिकी कार्यों के प्रबंधन हेतु "राज्य ग्रीन इंडिया मिशन प्रकोष्ठ" (जिसे इसके बाद राज्य जी.आई.एम. प्रकोष्ठ कहा जावेगा) का गठन करता है.

1. **पृष्ठभूमि :—** हरित भारत राष्ट्रीय मिशन (Green India Mission), जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एन.ए.पी.सी.सी.) के अंतर्गत बनाये गये आठ राष्ट्रीय मिशनों में से एक मिशन के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किया गया था. यह मिशन जलवायु परिवर्तन को एक ऐसी घटना मानता है जो कि देश के प्राकृतिक संसाधनों के वितरण, प्रकार व गुणवत्ता तथा इससे जुड़ी लोगों की जीविका को गंभीर रूप से प्रभावित व परिवर्तित करेगा. यह मिशन वानिकी क्षेत्र द्वारा जलवायु शमन, खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, जैव विविधता, विकास, संरक्षण एवं वन पर निर्भर समुदायों की जीविका सुरक्षा के द्वारा होने वाले पर्यावरणीय सुधार को मान्यता देता है. जी.आई.एम. "हरितिकरण" को जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन एवं शमन के संदर्भ में देखता है जिसका लक्ष्य पारिस्थितिकीय सेवाओं को बढ़ावा देना होगा, जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन व संग्रहण (वनों एवं अन्य पारितंत्रों में) जल संबंधी सेवाएं एवं जैव विविधता, इसके साथ-साथ वस्तु आधारित सेवाएं जैसे ईंधन, चारा लकड़ी तथा गैर काष्ठीय वन उत्पाद.

यह मिशन जलवायु परिवर्तन को निम्नलिखित के माध्यम से संबोधित करेगा :—

- टिकाऊ रूप से प्रबंधित वनों एवं पारिस्थितिकीय तंत्रों में कार्बन सिंक की मात्रा में वृद्धि;
- बदलती जलवायु के प्रति संकटग्रस्त प्रजातियों/पारिस्थितिकीय तंत्रों का अनुकूलन; और
- बदलती जलवायु के संदर्भ में स्थानीय समुदायों की वन निर्भरता का अनुकूलन.

2. **राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य :—** भारत शासन द्वारा राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन के उद्देश्य को निम्नानुसार तीन चरणों में बांटा गया है.

- अगले 10 वर्षों में भारत में वनीकरण/ईकोरिस्टोरेशन के लिए अधिग्रहित किए जाने वाले भू-क्षेत्र को दोगुना करना अर्थात् 2 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र को वनीकृत करना या ईकोरिस्टोर्ड करना (अर्थात 1 करोड़ हेक्टेयर वनीय/गैरवनीय क्षेत्रों को मिशन के माध्यम से वनीकृत किया जाएगा तथा शेष 1 करोड़ हे. वनों पर वन विभाग एवं अन्य संस्थायें कार्य करेंगी).
- वर्ष 2020 तक भारत के वार्षिक कुल ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन से 6.35 प्रतिशत हिस्से को भारत के वनों द्वारा कम करने की क्षमता में वृद्धि (मिशन की अनुपस्थिति में जो कि 1.5 प्रतिशत के लगभग होगी). मिशन के द्वारा 1 करोड़ हे. वन एवं अन्य पारितंत्रों में भूमि पर एवं भूमिगत स्थिति जैवभार में वृद्धि होगी परिणामस्वरूप वर्ष 2020 में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में 4.3 करोड़ टन कार्बन डाई ऑक्साइड की दर से वृद्धि होगी.
- मिशन के द्वारा इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के वन एवं अन्य पारितंत्रों की स्थिति में काफी सुधार होगा. मिशन के द्वारा जल के बहाव को नियंत्रित करके उसे भू-गर्भ में अन्तः स्त्रावित किया जाएगा, जिससे भू-गर्भिय जल का रिचार्ज संभव हो सके. इसके साथ-साथ जलधाराओं व झीलों का भी पुनः भरण संभव हो सकेगा. इस मिशन के द्वारा जैव विविधता के अतुलित भण्डार में भी काफी वृद्धि होगी. इसके अलावा इस मिशन से स्थानीय समुदायों को बदलते हुए जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए कई अन्य सेवाओं (जलौनी लकड़ी, चारा, इमारती लकड़ी गैर काष्ठीय वनोपज, औषधीय पौधे इत्यादि) में भी वृद्धि होगी. इन सभी परिवर्तनों के अनुश्रवण के लिए अनुकूल सूचकों की पहचान भी की जाएगी.

राज्य के ग्रीन इंडिया मिशन उक्त राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन को आवश्यक सहायता उपलब्ध करायेगा.

3. **मिशन का लक्ष्य (परिणाम) :—**विभिन्न प्रकार के वनों एवं पारितंत्रों के लिए राष्ट्रीय मिशन में निहित समग्र परिणाम को प्राप्त करने हेतु कई लक्ष्य निर्धारित किए जायेंगे, जिससे इस मिशन के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके. राष्ट्रीय मिशन द्वारा आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु राज्य ग्रीन इंडिया मिशन कार्य करेगी. उक्त लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किये गये हैं :—

- 20 लाख हेक्टेयर मध्यम घनत्व वाले वनों के घनत्व एवं आच्छादन में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखायी देगी.
- 40 लाख हेक्टेयर क्षरित वनों को पुन: वनीकरण/पुन: जीवित किया जायेगा और साथ ही साथ इसका टिकाऊ तरीके से प्रबंधन भी किया जाएगा.
- 20 लाख हेक्टेयार क्षरित झाड़ी/घास स्थलीय मैदानों का पुनरूद्धार किया जाएगा तथा इसको उपयोग टिकाऊ तरीके से विभिन्न कार्यों के लिए किया जाएगा.
- 1 लाख हेक्टेयर मैंग्रूव वनों का पुनरूद्धार होगा या इन्हें रोपित किया जाएगा 1 लाख हेक्टेयर नमभूमि क्षेत्रों को संरक्षित किया जाएगा.
- 2 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र, जो शहरों या अर्द्धशहरी क्षेत्रों में स्थित है, को पुन: आच्छादित किया जाएगा.
- 15 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्रों एवं चारा स्थलों को कृषि वानिकी के अंतर्गत लाया जाएगा.
- 1 लाख हेक्टेयर कॉरिडोर क्षेत्र जहां से वन्यजीवों का प्रवास अधिकतम होता है, को संरक्षित किया जाएगा.
- 1 करोड़ घरों में जलौनी लकड़ी के उन्नत प्रयोग को बढ़ावा देने वाले उपकरणों (इसके साथ ही साथ वैकल्पिक ऊर्जा उपकरणों) के प्रयोग को अपनाया जाएगा.
- सामुदायिक आजीविका आधारित जैवभार/गैर काष्ठीय वनोपज में वृद्धि होगी जिससे उनकी आजीविका पर पड़ने वाले खतरे भी कम होंगे.

4. **मिशन की रणनीति :—**

- **'हरियाली' को व्यापक रूप में देखना (पौधरोपण के परे)**—मिशन के अंतर्गत हरियाली लाने की गतिविधि में केवल वृक्षारोपण एवं वनाच्छादन में वृद्धि जैसी गतिविधियों को ही शामिल नहीं किया गया है बल्कि यह अन्य विशिष्ट पारितंत्रों एवं विविध पर्यावासों जैसे, घासस्थलीय मैदान एवं चारास्थलों (मरूस्थलीय एवं अर्द्धमरूस्थलीय क्षेत्रों में), मैंग्रूव वनों, नमभूमियों एवं अन्य आवश्यक पारितंत्रों को संरक्षित कर उनके पुनरूद्धार पर भी बल देता है. यह न केवल क्षरित वनों को बचाने व उसके पुनरूद्धार से संबंधित कार्यवाही पर बल देता है बल्कि यह अधिक घनत्व वाले वन क्षेत्रों के साथ-साथ अन्य वनों की सुरक्षा/वनाच्छादन में वृद्धि में भी सहयोग देता है.
- **क्रियान्वयन में एकीकृत अंतरक्षेत्रीय तरीके का प्रयोग—**मिशन एक दिये गये परियोजना इकाई/उप-लैण्डस्केप/उप-जलागम में ऐसे एकीकृत तरीके को बढ़ावा देता है जिससे वनों एवं गैरवनीय क्षेत्रों के साथ-साथ व्यक्तिगत भू-क्षेत्रों का विकास कराना भी है. क्षरण के कारकों को एकीकृत तरीके से स्पष्ट रूप से संबोधित किया जा सकता है, जो वनीय एवं गैर वनीय सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ-साथ व्यक्तिगत भू-क्षेत्र में समान रूप से कार्य कर सकता है (वन विभाग, पशु विभाग, कृषि एवं ग्रामीण विभाग)
- **स्थानीय समुदायों एवं विकेन्द्रिकृत शासन की प्रमुख भूमिका**—स्थानीय समुदायों को परियोजना के संचालन एवं क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाने की आवश्यकता होगी. इस मिशन के तहत ग्राम सभा एवं इससे संबंधित विभिन्न समितियों जिसके अंतर्गत जे.एफ.एम., सी.एफ.एम. समूह, वन पंचायत इत्यादि शामिल हैं, को विकेन्द्रिकृत वन शासन के रूप में मजबूती प्रदान की जायेगी. इसके साथ ही मिशन के द्वारा वन विकास एजेन्सियों को पर्याप्त समर्थन भी दिया जाएगा. यह मिशन सामुदायिक कार्यावधि, अनुकूलित वन प्रबंधन एवं आजीविका संबंधी गतिविधियों जैसे, समुदाय आधारित गैर

काष्ठीय वनोपज उद्यम को समर्थित करने हेतु क्षमता विकास इत्यादि मजबूती प्रदान करेगा.

- **'संवेदनशीलता' एवं 'क्षमता' चयन करने के मानक के रूप में**—मिशन के अंतर्गत परियोजना क्षेत्र/उप-जलागम/उप-लैंडस्केप को चयन करने के मानक में जलवायु परिवर्तन के प्रति संवदेनशीलता के साथ-साथ कार्बन सिंक को बढ़ाने के लिए उस क्षेत्र विशेष की क्षमता को भी शामिल किया गया है.

- **सख्त एवं प्रभावी अनुश्रवण ढांचा**—मिशन में चार विभिन्न स्तरों पर अनुश्रवण के लिए एक ढांचे का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है. इसके अतिरिक्त विभिन्न एजेन्सियों द्वारा की जाने वाली जमीन स्तर के परिणामों के अनुश्रवण के लिए यह मिशन आधुनिक तकनीकी जैसे जी.पी.एस. प्रणाली के साथ रिमोट सेंसिंग की व्यवस्था करेगा. परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत कुछ क्षेत्रों को चयनित किया जाएगा, जहां भू-आच्छादन, मृदा की स्थिति, क्षरण एवं अंत:स्त्रावण, जलबहाव, भू-गर्भीय जल के स्तर का मापन जैसे मानकों का प्रयोग करके जल बजट एवं जैवभार अनुश्रवण सूचकों के विकास हेतु सघन अनुश्रवण कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा. इसके अतिरिक्त मिशन अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शोध संबंधी गतिविधि को भी संचालित करेगा. मिशन के अंतर्गत देश में आर.ई.डी.डी. की गतिविधियों को संचालित करने के लिए मिशन के निदेशालय में एक अन्य प्रकोष्ठ की व्यवस्था करेगा.

5. **मिशन का ढांचा:**—पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत शासन, राष्ट्रीय स्तर पर मिशन से जुड़ी गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा. मिशन को समग्र रूप से दिशा-निर्देश एक सलाहकार परिषद जिसके अध्यक्ष पर्यावरण एवं वनमंत्री भारत सरकार होंगे, के द्वारा दिया जाएगा. मिशन की गतिविधियों को संचालित करने के लिए एक राष्ट्र स्तरीय समिति होगी जो कि गतिविधियों को संचालित करने के लिए दिशा निर्देश देगी.

राज्य स्तर पर मिशन के लक्ष्य एवं परिणाम प्राप्त करने के लिए राज्य वन विकास अभिकरण के अंतर्गत वन विभाग में इसका कार्यालय होगा. राज्य का वन विभाग राज्य स्तर पर मिशन की गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी होंगे. मिशन को सूपर्ण दिशा-निर्देश प्रदान करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय संचालन समिति एवं मिशन की गतिविधियों को दिशा देने और जांच करने के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (पी.सी.सी.एफ.) की अध्यक्षता में एक क्रियान्वयन समिति का गठन किया जाएगा. राज्य वन विकास अभिकरण (SFDA) राज्य के मिशन प्रकोष्ठ के रूप में कार्य करेगी.

जिला स्तर पर मिशन की गतिविधियों का क्रियान्वयन जिला समन्वय समिति के माध्यम से वन विकास अभिकरण द्वारा किया जावेगा. ग्राम स्तर पर मिशन का नियोजन एवं क्रियान्यवन ग्राम सभा की स्थानीय स्तर की संस्था संयुक्त वन प्रबंध समिति द्वारा किया जावेगा.

ग्रीन इंडिया मिशन के सफल संचालन हेतु छ.ग. शासन द्वारा राज्य स्तर पर एक संचालन समिति (Streeing Committee), क्रियान्वयन समिति (Executive Committee) तथा क्षेत्रीय स्तर पर जिला समन्वय समिति (District Co-ordination Committee) का गठन किया जाता है :—

5 (1) **संचालन समिति (Streeing Committee)—**

ग्रीन इंडिया मिशन के संचालन समिति में निम्न सम्मिलित होंगे :—

1.	मुख्य सचिव	-	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (वन)	-	उपाध्यक्ष
3.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (वित्त)	-	सदस्य
4.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)	-	सदस्य
5.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग)	-	सदस्य

6.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (कृषि एवं पशुपालन विभाग)	-	सदस्य
7.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	-	सदस्य
8.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी)	-	सदस्य
9.	प्रबंध संचालक, छ.ग. वन विकास निगम	-	सदस्य
10.	प्रबंध संचालक छ.ग. लघुवनोपज संघ	-	सदस्य
11.	क्लाईमेट चेंज/स.व.प्र. में कार्यरत् दो प्रतिष्ठित सिविल सोसायटी संस्थान/अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधि.	-	सदस्य
12.	वन प्रबंधन समितियों के दो सदस्य जो स.व.प्र. के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं.	-	सदस्य
13.	दो निगमित क्षेत्र (Corporate Sector) के सदस्य जिनका राज्य में उद्योग संचालित है एवं वानिकी तथा जलवायु के क्षेत्र में सक्रिय कार्य कर रहे हैं.	-	सदस्य
14.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संवप्र) एवं मिशन निदेशक राज्य ग्रीन इंडिया मिशन.	-	सदस्य सचिव

टीप :—अनुक्रमांक 11 से 13 तक के सदस्य राज्य शासन द्वारा अधिकतम दो वर्ष के लिए नामित किये जावेंगे.

संचालन समिति के कार्य :—

1. ग्रीन इंडिया मिशन के मुख्य उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के अधीन क्रियान्वयन समिति के नियमों एवं कार्य संबंधी प्रक्रिया का निर्धारण करेगी.
2. ग्रीन इंडिया मिशन योजना के तहत् विमुक्त राशि के उपयोग की प्रगति की समीक्षा करेगी.
3. ग्रीन इंडिया मिशन के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा आंकेक्षिक लेखों की स्वीकृति देगी.
4. अंतर्विभागीय सहयोग सुनिश्चित करेगी.
5. संचालन समिति की बैठक कम से कम एक वर्ष में एक बार अवश्य आयोजित की जावेगी.

यह समिति राज्य वन विकास अभिकरण (SFDA) के अंतर्गत स्थापित ग्रीन इंडिया मिशन प्रकोष्ठ को समग्र दिशा निर्देश प्रदान करेगी.

5. (2) **क्रियान्वयन समिति (Executive Committee)—**

ग्रीन इंडिया मिशन के क्रियान्वयन समिति में निम्न सम्मिलित होंगे :—

1.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	-	अध्यक्ष
2.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी)	-	सदस्य
3.	प्रबंध संचालक, छ.ग. लघु. वनो. संघ	-	सदस्य
4.	प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम	-	सदस्य
5.	संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	-	सदस्य
6.	प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य ऊर्जा विकास प्राधिकरण	-	सदस्य
7.	संचालक, कृषि विभाग	-	सदस्य
8.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास/योजना)	-	सदस्य
9.	दो वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित सिविल सोसायटी संस्था/अशासकीय संस्थाओं से मनोनित सदस्य (राज्य शासन द्वारा अधिकतम दो वर्ष के लिए नामित किये जावेंगे).	-	सदस्य
10.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संवप्र.) एवं मिशन निदेशक.	-	सदस्य सचिव

क्रियान्वयन समिति के कार्य :—

1. भारत शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत ग्रीन इंडिया मिशन का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी.

2. संचालन समिति द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया के अधीन ग्रीन इंडिया मिशन के प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समस्त संभव उपाय करेगी.
3. ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत राज्य में विभिन्न गतिविधियों की मदवार कार्यकलाप एवं अनुमानित व्यय देते हुये वार्षिक कार्य योजना को स्वीकृति करेगी.
4. योजना अंतर्गत विमुक्त की गई राशि से राज्य में कराये गये कार्यों के संपादन की देखरेख करेंगी एवं कार्यों की समीक्षा तथा मूल्यांकन रिपोर्ट संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगी.
5. योजना अंतर्गत राशि की प्राप्तियों एवं व्यय के समुचित अंकेक्षण हेतु उत्तरदायी रहेगी.
6. परियोजना के सफल संचालन हेतु आवश्यकतानुसार तकनीकी विशेषज्ञों की सेवायें संविदा पर प्राप्त करने हेतु आवश्यक स्वीकृति देगी.
7. अन्य कार्यों का क्रियान्वयन जो समय-समय पर भारत सरकार एवं संचालन समिति के निर्देशों में सम्मिलित होंगे.
8. जिला स्तरीय समन्वय समितियों का पर्यवेक्षण (Supervision) करेगी एवं समय-समय पर मार्गदर्शन प्रदान करेगी, साथ ही अशासकीय सदस्यों को नामांकित करेगी.
9. क्रियान्वयन समिति की बैठक न्यूनतम वर्ष में दो बार अवश्य आयोजित की जावेगी.

5. (3) **जिला समन्वय समिति (District Co-ordination Committee)—**

ग्रीन इंडिया मिशन के जिला समन्वय समिति में निम्न सम्मिलित होंगे :—

1.	मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)	-	अध्यक्ष
2.	जिलाध्यक्ष	-	उपाध्यक्ष
3.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	-	सदस्य
4.	उप संचालक, कृषि	-	सदस्य
5.	जिला पशुपालन अधिकारी	-	सदस्य
6.	सहायक आयुक्त, जिला अनुसूचित जाति कल्याण विभाग.	-	सदस्य
7.	जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी	-	सदस्य
8.	प्रतिष्ठित सिविल सोसायटी संस्था/अशासकीय संस्था के प्रतिनिधि जो स.व.प्र./जलवायु परिवर्तन के कार्यों में 03 वर्षों से सक्रिय हो, के नामांकित दो सदस्य.	-	सदस्य
9.	वन प्रबंधन समितियों के 03 सदस्य (कम से कम 01 महिला अनिवार्य) (अनु. क्र. 8 एवं 9 के सदस्यों को क्रियान्वयन समिति द्वारा अधिकतम दो वर्ष के लिए नामित किये जावेंगे.)	-	सदस्य
10.	वनमंडलाधिकारी	-	सदस्य सचिव

जिला समन्वय समिति के कार्य :—

1. जिला स्तर पर योजना का क्रियान्वयन तथा अंतर्विभागीय सहयोग सुनिश्चित करेगी.
2. योजना अंतर्गत विमुक्त किये गये राशियों के समुचित उपयोग सुनिश्चित करेगी व समय-समय पर कार्यों का समीक्षा कर आवश्यक मार्गदर्शन देंगे.
3. यह समिति योजना अंतर्गत स्थानीय विशेषज्ञों/संस्थाओं का जिला स्तर पर चयन करेगी.
4. यह समिति जिला स्तर पर योजना के समस्त लेखों के रख-रखाव हेतु उत्तरदायी होंगी. समिति वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन राज्य जी.आई.एम. प्रकोष्ठ को प्रस्तुत करेगी.

6. **राज्य ग्रीन इंडिया मिशन प्रकोष्ठ की स्थापना (State Green India Mission Cell) :—**छ.ग. राज्य में ग्रीन इंडिया मिशन प्रकोष्ठ की स्थापना वन विभाग के संयुक्त वन प्रबंधन प्रभाग में किया जाता है. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सं.व.प्र.) ग्रीन इंडिया मिशन के Ex-Offico, ग्रीन इंडिया मिशन निदेशक एवं नोडल अधिकारी होंगे. वे ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत स्थापित संचालन समिति एवं क्रियान्वयन समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे. मिशन के निदेशक को मिशन की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कर्मचारी/विशेषज्ञ ढांचागत संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे. कार्य आधारित विशेषज्ञ अमले की स्वीकृति आवश्यकता अनुसार समय-समय पर क्रियान्वयन समिति से प्राप्त की जावेगी.

ग्रीन इंडिया मिशन प्रकोष्ठ के कार्य :—

1. यह प्रकोष्ठ ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत गठित संचालन समिति (Streeing Committee) एवं क्रियान्वयन समिति के निर्णयों का क्रियान्वयन करेगा.

2. यह प्रकोष्ठ जिला समन्वय समिति को आवश्यक दिशा-निर्देश देकर ग्रीन इंडिया मिशन का एफ.डी.ए. एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा.
3. ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत भारत सरकार एवं अन्य योजनाओं से प्राप्त राशि का आवंटन, योजना का संचालन एवं राज्य में योजना को बढ़ावा देने हेतु कार्य करेगा.
4. योजनांतर्गत चयनित तथा वित्त पोषित लैण्ड स्केप के वन क्षेत्रों में वनों के संवर्धन, संरक्षण, पारिस्थितिकीय विकास के साथ-साथ स्थानीय लोगों की जीविका के विकास कार्यों का प्रबंधन.
5. कार्यक्रम में पारदर्शिता लाना तथा नागरिक सहयोग प्राप्त करना.
6. योजना अंतर्गत प्राप्त की गई राशि हेतु पृथक लेखा संधारण.
7. योजना पर समुचित नियंत्रण, मूल्यांकन एवं प्रकरण करना.

7. **बैंक खाता :—** भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ग्रीन इंडिया मिशन अंतर्गत प्राप्त धनराशि एक राष्ट्रीयकृत बैंक के पृथक खाते में रखी जावेगी. धन का आहरण प्रकोष्ठ स्तर पर क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं मिशन निदेशक/सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से एवं जिला स्तर पर अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा.

8. **कार्यों का मूल्यांकन एवं समीक्षा :—**
1. योजना अंतर्गत लेखों का अंकेक्षण भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप सी.ए.जी. पैनल में सम्मिलित चार्टर्ड एकाउन्टेंट से कराया जावेगा.
2. योजना अंतर्गत उपलब्ध कराये गये आवंटन से किये गये कार्यों की लगातार समीक्षा एवं मूल्यांकन का कार्य विभागीय तथा वाह्य व्यवस्था द्वारा किया जावेगा.
3. राज्य ग्रीन इंडिया मिशन प्रकोष्ठ को वन विकास अभिकरण द्वारा ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत किये गये कार्यों के निरीक्षण का अधिकार होगा.
4. निदेशक, राज्य ग्रीन इंडिया मिशन प्रकोष्ठ यदि संतुष्ट है कि विमुक्त किये आवंटन का उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो आवंटित राशि में से शेष राशि रोकने अथवा निलंबित करने हेतु अधिकृत होंगे एवं छत्तीसगढ़ राज्य शासन के नियमों के अधीन आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे. वह की गई कार्यवाही का विवरण क्रियान्वयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2015

क्रमांक एफ 7-16/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-16/2013/10-2, दिनांक 18-08-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

Naya Raipur the 18th August 2015

No./F 7-16/2013/10-2.—In compliance to the instructions and guidelines contained in Ministry of Environment and Forests, Government of India's GIM Advisory No. 2.0 Dated 16-12-2011, the Government of Chhattisgarh, hereby constitutes the "State Green India Mission Cell" (herein after referred to as State GIM Cell) to conserve natural forests, mitigate climate change, increase density and cover of forests, ensure eco-system development, food security, water security, infrastructure development and management of other forestry activities for livelihood security of forest dependent communities.

1. **Background.—**The National Mission for a Green India, as one of the eight Missions under the National Action Plan on Climate Change (NAPCC) announced by the Prime Minister, recognizes that climate change phenomena will seriously affect and alter the distribution, type and quality of natural resources of the country and the associated livelihoods of the people. The mission acknowledges the influences that the forestry

sector has on environmental amelioration though climate mitigation, food security, water security, biodiversity conservation and livelihood security of forest dependent communities.

The GIM puts the "greening" in the context of climate adaptation and mitigation, meant to enhance ecosystem services like carbon sequestration and storage (in forests and other ecosystems), hydrological services and biodiversity; along with provisioning services like fuel, fodder, timber and NTFPs.

The Mission aims at addressing climate change by :

- enhancing carbon sinks in sustainably managed forests and other ecosystems;
- adaptation of vulnerable species/ecosystems to the changing climate; and
- adaptation of forest dependent local communities in the face of climatic variability.

2. **National Green India Mission Objectives :—**The Government of India has laid-down the following three-fold objectives for the National Green India Mission :

- Double the area to be taken up for afforestation/eco-restoration in India in the next 10 years, taking the total area to be afforested or eco-restored to 20 million ha. (i.e., 10 million ha of additional forest/ non forest area to be treated by the Mission, and remaining 10 million ha area is to be treated by Forest Department and other agencies.

- Increase the Green house Gasses (GHG) removals by India's forests to 6.35% of India's annual total GHG emissions by the year 2020 (an increase of 1.5% over what it would be in the absence of the Mission). This would require an increase in above and below ground biomass in 10 million ha of forests/ecosystems, resulting in increased carbon sequestration of 43 million tons CO_2 annually.

- Enhance the resilience of forests/ecosystems being treated under the Mission Controlling useless surface water flow and adopting Water Harvesting Techniques will enhance infiltration, ground-water recharge, stream and spring flows, biodiversity value, provisioning of services (fuel wood, fodder, timber, NTFPs, etc.) to help local communities adapt to climatic variability.

  The State GIM will help & supports the National GIM to achieve the above national objectives.

3. **Mission Targets (Output) :—**The National Green India Mission will have clear targets for different forest types and ecosystems which will enable achieving the overall objectives of the Mission. The State GIM will strive to achieve its targets allotted by the National GIM for the National targets above national targets have been classified into the following:

- 2.0 m ha of moderately dense forests should show increased cover and density

- 4.0 m ha of degraded forests are regenerated/afforested sustainably managed

- 2.0 m ha of degraded scrub/grasslands are restored and put under sustainable multiple uses

- 0.10 m ha of mangrove forest will be rehabilitated or planted & 0.10 m ha of wetlands show enhanced conservation status.

- 0.20 m ha of urban/peri urban forest lands and institutional lands are under tree cover

- 1.50 m ha of degraded agricultural and fodder lands and fallows are brought under agro-forestry.

- 0.10 m ha of corridor areas, critical to wildlife migration are secured and protected

- Improved fuel wood efficiencint devices adopted in about 10 million households (along with alternative energy devices)

- Biomass/NTFP based community livelihoods are enhanced that lead reduced vulnerability.

4. **Mission Strategy :—Holistic view to "greening" (Broader than plantations) :—**The scope of greening will not be limited to just trees and plantations. Emphasis will be placed on restoration of eco-systems and habitat diversity e.g. grassland and pastures, mangroves, wetlands and other critical ecosystems. It will not only strive to restore degraded forests, but would also contribute in protection/enhancement of forests with relatively dense forest cover.

Integrated cross-sectoral approach to implimentation : the mission would foster an integrated approach that treats forests and non forest public lands as well as private lands simultaneously, in project units/sub-landscapes/sub water sheds. Drivers of degradation e.g. fire wood needs and livestock grazing will be addressed using inter sectoral convergence (e.g. animal husbandry forest, agriculture, rural development; energy etc departments).

Key role for local communities and decentralized governance : Local communities will be required to play a key role in project governance and implementation. Gram Sabha and its various committees including JFMCs would be strengthened as institutions of decentralized forest governance. Likewise, the Mission would support revamping/strengthening of the Forest Development Agencies. The Mission would support secured community tenure, capacity building for adaptive forest management and livelihood support activities e.g. community bassed NTFP enterprise.

'Vulnerability' and 'Potential' as criteria for intervention : An overarching criterion for selection of project areas/sub-landscapes/sub watersheds under the mission would include vulnerability to climatic change projections and potential of areas for enhancing carbon sinks.

Robust and effective monitoring frame work : A comprehensive monitoring framework at four different levels is proposed. In addition to on ground self-monitoring by multiple agencies, the Mission would support use of modern technology like Remote Sensing with GPS mapping of plot boundaries for monitoring at output/out come level. A few identified sites within the project area will be selected for intensive monitoring using additional parameters like ground cover, soil condition, erosion and infiltration, nun-off, ground water levels to develop water budgets as well as biomass monitoring indicators. The Mission would also commission a comprehensive research needs assessment in support of Mission aim and objectives. The Mission would set up a cell with in Mission Cell to coordinate REDD Plus activities in the country.

5. **Mission Organization :—**The Ministry of Environment and Forests will be responsible for operationlising the mission activities at the national level. An Advisory Council chaired by the Minister for Environment and Forests, Govt. of India will provide overall guidance to the Mission. A National Steering Committee will provide necessary direction and support to the Mission Activities.

At State level, the mission will be housed within the State Forest Development Agency in the Forest Department. The State Forest Department will be responsible for operationlising the Mission activities at the State level and will have a State Steering Committee chaired by Chief Secretary to provide overall guidance and an Executive Committee chaired by PCCF for directing the Mission and overseeing implementation. The State Forest Development Agency would act the State Mission Cell.

At District level, the Mission activities will be coordinated through District Coordination Committees at the FDA level. At the village level, planning and implementation will be vested with the local level institutions of JFMCs.

For successful implementation of Green India Mission in the State, the Government of Chhattisgarh hereby constitutes a Steering Committee, an Executive Committee at State level and a District Co-ordination Committee at District level :

5.1 **State Steeting Committee :—**The State Steering Committee shall consist of the following :—

1.	Chief Secretary	:	Chairperson
2.	Addl. Chief Secretary/Principal Secretary (Forest)	:	Vice Chairperson
3.	Addl. Chief Secretary/Principal Secretary (Finance)	:	Member
4.	Addl. Chief Secretary/Principal Secretary (Panchayat and Rural Development Deptt.)	:	Member

5.	Addl. Chief Secretary/Principal Secretary (Scheduled Tribe and Scheduled Caste Development Deptt.)	:	Member
6.	Addl. Chief Secretary/Principal Secretary (Agriculture and Animal Husbandry Deptt.)	:	Member
7.	Principal Chief Conservator of Forests	:	Member
8.	Principal Chief Conservator of Forests (Wild Life)	:	Member
9.	Managing Director, Chhattisgarh M.F.P. Federation	:	Member
10.	Managing Director Chhattisgarh State Forest Development Corporation.	:	Member
11.	Representatives of Two eminent Civil Society Organizations. (CSOs)/NGO's actively engaged in Climate Change/ JFM.	:	Member
12.	Two members of JFM Committees doing exemplary works in the field of JFM.	:	Member
13.	Two members of Corporate House running an industry in the State and actively engaged in Climate Change/Forestry.	:	Member
14.	Addl. Principal Chief Conservator of Forests (JFM) and State Mission Director, Green India Mission.	:	Member Secretary

(**Note :** Sr. No. 11-13 will be nominated by the State Government on the Committee for a maximum period of two years.)

Roles of Steering Committee :

1. Will issue directions/guidelines; approve rules, and procedures for execution of works to Executive Committee for achieving the core principles and objectives of Green India Mission.

2. Review & Monitoring of the utilization of funds released under Green India Mission.

3. Will approve the annual reports and Audited accounts;

4. Will ensure inter-departmental coordination;

5. Will meet at least once in twelve months.

This committee will provide overall guidance to Green India Mission Cell in the State formed under the State Forest Development Agency (SFDA)

5.2 **Executive Committee** :—The Executive Committee shall consist of the following :—

1.	Principal Chief Conservator of Forests	:	Chairperson
2.	Principal Chief Conservator of Forests (Wild Life)	:	Member
3.	Managing Director, Chhattisgarh M.F.P. Federation	:	Member
4.	Managing Director, Chhattisgarh State Forest Development Corporation.	:	Member
5.	Director, Panchayat and Rural Development Deptt.	:	Member
6.	Managing Director, Chhattisgarh Rural Energy Development Agency.	:	Member
7.	Director, Agriculture Department	:	Member
8.	Addl. Principal Chief Conservator of Forests (Dev./Plan)	:	Member
9.	Two eminent CSOs/NGO's, actively engaged in Forestry/Climate Change (will be nominated by the State Govt. for a maximum period of two years).	:	Member

10.	Addl. Principal Chief Conservator of Forests (JFM) and State Mission Director, Green India Mission.	:	Member Secretary

Roles of Executive Committee :—

1. Will ensure implementation of Green India Mission under the guidelines and instructions issued by the Government of India from time to time.

2. It will undertake all possible measures to achieve the main objectives and core principles of Green India Mission within the rules and procedures prescribed by the Steering Committee.

3. It will sanction the annual Action Plan for head wise work programme and its anticipated costs of various activities under the Green India Mission being implemented in the State.

4. It will undertake execution of works being undertaken in the State out of the funds released under Green India Mission, review the works and also putup a monitoring and evaluation report to the Steering Committee.

5. Will be responsible for appropriate audit of both the receipts and expenditure of funds under the project.

6. For successful operations of the project will approve for acquiring services of technical experts on contract basis as and when required.

7. Take up other works that are included in Government of India guidelines and Steering Committees's Directions as per need;

8. Will ensure supervision of the District Coordination Committees and provide them guidance from time to time. It will also nominate non-government members to District Coordination Committee.

9. Will met at least twice a year.

5.3 **District Co-ordination Committe**e :—The District Co-ordination Committee of Green India Mission shall consist of the following :—

1.	Chief Conservator of Forests (Territorial)	:	Chairperson
2.	District Collector	:	Vice Chairperson
3.	CEO Zila Panchayat	:	Member
4.	Deputy Director Agriculture	:	Member
5.	District Veterinary Officer	:	Member
6.	Asstt. Commissioner Tribal Welfare Deptt.	:	Member
7.	District Health and Family Welfare Officer	:	Member
8.	Nominated representative of two eminent CSOs/ NGO's who is actively engaged in JFM/Climate Change for last 3 years.	:	Member
9.	Three Member of Joint Forest Management Committees. (At least one would be woman)	:	Member
10.	Divisional Forest Officer	:	Member Secretary

(Non Govt. representatives of Sr. No. 8, 9 will be nominated by the Executive Committee for a maximum period of two years.)

Roles of District Co-ordination Committee :—

1. Will ensure implementation of Project & inter-departmental coordination at District level;

2. Will ensure proper use of funds released under the Green India Mission, review progress of works and give necessary guidnace from time to time.

3. The committee will give its consent for selection of local experts/organizations at district level to undertake the Mission interventions.

4. Will be responsible for maintenance of all accounts and conduction of appropriate annual Audit Report to be submitted in time to the State GIM Cell.

6. **Establishment of State Green India Mission Cell :—**The State Green India Mission Cell shall be housed in Joint Forest Management (JFM) Wing of Chhattisgarh State Forest Department. The Additional Principal Chief Conservator Forests (JFM) will be Ex-Officio Mission Director and Nodal Officer for Green India Mission and will function as Member Secretary of both the Steering and Executive Committee. The Mission Director will be provided with required staff/experts and infrastructure to carry out the Mission activities. Necessary sanction for work based staff/experts will be obtained from the Executive Committee as and when required.

Roles of Green India Mission Cell :

1. Implementation of decisions and actions taken by the Steering Committee and Executive Committee constituted under Green India Mission;

2. This Cell will ensure successful implementation of Green India Mission through FDAs and Joint Forest Management committee by providing necessary instructions and guidance to the District Co-ordination Committee;

3. Allotment of funds received under Green India Mission from the Government of India, Directions to FDAs for implementation and enhancement of the scheme in the state.

4. Increase density and cover of forests in the forest areas of selected landscape duly funded under the scheme, eco-development along with enhancement of livelihood to local people and management of works.

5. To bring transparency in the program and creation of civic support.

6. Maintenance of separate account for the funds received under the project.

7. Suitable control over the project evaluation and reporting.

7. **Bank Account** :—As per instructions of Government of India the funds received under Green India Mission will be kept in separate account in a Nationalized Bank. Withdrawal of funds should be by joint signature of Chairperson and Director/Member Secretary of Executive Committee at the Cell level and Chairperson and Member Secretary at the District level.

8. **Monitoring and Evaluation of the Works** :—

1. As per Governments of India's instructions the auditing of accounts of the scheme should be carried out through a reputed Chartered Accountant who is also on the panel of C&AG.

2. For the concurrent monitoring and evaluations of works executed out of the funds released under the project an independent system (Internal & external) will be developed and implemented for effective and proper use of funds.

3. The State Green India Mission Cell shall have the powers to order inspection of field works under the GIM carried out by the FDAs.

4. If the Director of the State GIM Cell in satisfied that the funds released are not being utilized properly, he/she shall have the powers to withhold or suspend the release of remaining amount or its part thereof and carry out necessary action as per the rules of the Government of Chhattisgarh. Such action will be reported before the Executive Committee.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2015

क्रमांक-एफ 7-09/2014/दस/भा.व.से.—श्री बी. एन. द्विवेदी, भा.व.से. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), छत्तीसगढ़ रायपुर को दिनांक 07-09-2015 से दिनांक 26-09-2015 तक कुल 20 दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में स्वयं के व्यय पर निजी विदेश (स्वीटजरलैंड, आस्ट्रिया व हंगरी) प्रवास हेतु आपके द्वारा दी गई सूचना की अभिस्वीकृति भारत सरकार, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक 11019/06/2001-AIS-III, दिनांक 05-12-2007 के अधीन निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :—

1. उक्त अवकाश के पश्चात् आप अपने कर्तव्य पर उपस्थित होंगे.

2. उक्त अवकाश अवधि में आप विदेश प्रवास के दौरान विदेश में किसी प्रकार का व्यवसाय/नौकरी नहीं करेंगे.

3. उक्त प्रवास हेतु भारत सरकार के संबंधित विभाग/मंत्रालयों से, यदि किसी अनुमति की आवश्यकता हो तो वांछित अनुमतियां आप स्वयं प्राप्त करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईमिल लकड़ा, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2015

क्रमांक एफ 7-15/2015/दस/भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आर. के. तिवारी, प्रबंधक (प्रशासन) राज्य वन विकास निगम, रायपुर को दिनांक 07-09-2015 से 03-10-2015 तक कुल 27 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए अवकाश अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री तिवारी, प्रबंधक (प्रशासन) राज्य वन विकास निगम, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री तिवारी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2015

क्रमांक एफ 20-47/2013/11/6.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 के नियम 3.15 के तहत् राज्य शासन एतद्द्वारा अध्याय-चार के परिशिष्ट-1 के क्रमांक 02 (अ) की सारणी में सरल क्रमांक 5 के कालम (2) में सरल क्रमांक 7- "डिस्पेंसरी (अधिकतम 0.5 एकड़)" के पश्चात् "8-विद्युत उपकेन्द्र (छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी लिमि. को) अधिकतम 0.5 एकड़" समाविष्ट करता है. सरल क्रमांक 5 के शेष कॉलम (3), (4) एवं (5) की प्रविष्टियां पूर्ववत रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शारदा वर्मा, उप सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 अगस्त 2015

क्रमांक-एफ 7-24/2015/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राजपुर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, निवेश क्षेत्र का गठन करता है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित् की गई है :—

अनुसूची

राजपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम बगाडी, बकसपुर, सेमरा एवं झींगो ग्राम की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम झींगो, कोटागहना, लड्डुवा एवं नवापारा ग्राम की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम नवापारा, चटकपुर एवं राजपुर ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम राजपुर, नवकी एवं बगाडी ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

नया रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2015

क्रमांक एफ 7-06/2011/32.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र.-23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से जिला महासमुंद के पिथौरा निवेश क्षेत्र की सीमाओं में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है.

नया रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2015

क्रमांक-एफ 7-33/2012/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 अगस्त, 2012 द्वारा गठित फिंगेश्वर निवेश क्षेत्र की अनुसूची में पश्चिम में उल्लेखित ग्राम बिनौरी को उपवर्जित करता है. पुनर्गठित निवेश क्षेत्र की सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची अनुसार होगी.

अनुसूची

पुनर्गठित फिंगेश्वर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम बोरिद, सरगोड़, पथर्री एवं गदहीडीही ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम गदहीडीही, फिंगेश्वर, पुरैना एवं मड़वाडीह ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम मड़वाडीह, चैतरा, सेनदर, पतोरा एवं परसदाकला ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम परसदाकला, बोरिद एवं सरगोड़ ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2015

क्रमांक एफ 3-47/2015/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, क्रमांक 2 सन् 1974 की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टि कोण से कालम नम्बर-3 में वर्णित पुलिस थाना के उक्त सारणी के कालम (4) की तत्संबंधित प्रविष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं. 2 में वर्णित पुलिस थाना/चौकी के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है.

क्र.	थाना/चौकी का नाम	उस पुलिस थाने का नाम, तह. जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्र	
			ग्राम का नाम	पटवारी ह. नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	चौकी-चंदनू थाना-नांदघाट जिला बेमेतरा	थाना-नांदघाट तहसील-बेमेतरा	चंदनू	19
2.			मुंगेली	19
3.			खेली	19
4.			केशतरा	39
5.			मुटपुरी	39
6.			तुमा	39
7.			खमरिया	39
8.			मउ	40
9.			मुगवाय	16
10.			भोगराली	19
11.		थाना-नांदघाट, तहसील-नवागढ़	भदराली	19
12.			केशला	19
13.			बुचीपुर	19
14.		थाना-नांदघाट, तहसील-बेमेतरा	तिरैया	19
15.		थाना-नवागढ़, तहसील-नवागढ़	टिंगाली जेवरा	15
16.			भदोरा	17
17.			नेउर	17
18.			तारेगांव	17
19.			रुसे	17
20.			नवागांव भठेला	11
21.			कुंआ	16
22.			कटई	16
23.		थाना-नवागढ़, तहसील-बेमेतरा	सिंघनपुर	17
24.			खपरी	06
25.			बाराडेरा	09
26.		थाना-बेमेतरा, तहसील-बेमेतरा	नवागांव	18
27.			बिटकुली	39
28.			करजिया	20
29.			झिरिया	39
30.			आंदू	20
31.			बिरमपुर	20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
32.			उछलापुर	38
33.			पुरान	38
34.			भोथीडीह	38
35.			सोनपुर	38
36.			पौसरी	38
37.			धनेली	36
38.			घटोली	36
39.			बगौद	37

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2015

क्रमांक/पंचा-1048/पंग्राविवि/22/2015/548.—छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2012 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 70 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उप-धारा (3) के अधीन अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल काम्प्लेक्स, नया रायपुर (कक्ष क्र. AD 0-26) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 3 के बिन्दु (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"(घ)	सहायक शिक्षक (पंचायत) ग्रंथपाल	18 वर्ष	35 वर्ष	न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पुस्तकालय विज्ञान का प्रमाण पत्र.	तदैव"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. नायक, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2015

क्रमांक/पंचा-1048/पंग्राविवि/22/2015/549.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक/पंचा-1048/पंग्राविवि/22/2015/548, दिनांक 31-08-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. नायक, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 31st August 2015

No./P.-1048/PGVV/22/2015/548.—The following further draft amendment in the Chhattisgarh Teacher (Panchayat) Cadre (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2012, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (1) of Section 70 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), is hereby published as required under sub-section (3) of Section 95 of the said Adhiniyam for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that said draft shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person, before the specified period, in office hours by the office of the Joint Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of Panchayat & Rural Development, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Capital Complex, Naya Raipur (Room No. AD 0-26) shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

After Point (c) of Serial number 3 of Schedule-II, the following shall be added, namely :—

"(d)	Assistant Teacher (Panchayat) Librarian	18 years	35 years	Higher Secondary Certificate Examination with minimum of 50% marks and a certificate of Library Science from any recognized Institute.	—do—"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. L. NAYAK, Joint Secretary.

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 अगस्त 2015

क्रमांक/2619/एफ-8/68/NAIS/2015/14-2.—विभाग द्वारा जारी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना NAIS अंतर्गत खरीफ 2015 हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक-1381/एफ-8/68/NAIS/2015/14-2 दिनांक 23-06-2015 के बिन्दु क्रमांक-14 के बाद निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—

15. "चूंकि फसल बीमा की इकाई पटवारी हल्का होगी अत: योजना के प्रावधान अनुसार धान (असिंचित), मक्का, अरहर, सोयाबीन, मूंग एवं उड़द हेतु न्यूनतम 4 फसल कटाई प्रयोग एवं मूंगफली फसलों हेतु न्यूनतम 8 फसल कटाई प्रयोगों का आयोजन प्रत्येक पटवारी हल्का में अनिवार्यत: किये जायेंगे."

नया रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2015

क्रमांक/2868/एफ-04-07/बजट/2013/14-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा कृषि विभाग के "अशासकीय संस्था अनुदान नियम, 2013" (छत्तीसगढ़ राजपत्र-असाधारण दिनांक 28-01-2014 में प्रकाशित) में निम्नानुसार अतिरिक्त बिन्दु सम्मिलित करती है :—

भाग-3

2. **अनावर्ती अनुदान :—**

   i. संस्था द्वारा संचालित गतिविधियों के लिए आवश्यक मशीन एवं उपकरणों के क्रय हेतु लगने वाला व्यय स्वीकृत की जावेगी.

   के उपरांत् निम्नानुसार जोड़ा जाता है :—

3. **अनुदान की विमुक्ति :—**

   i. "कृषि विभाग द्वारा रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर हेतु अनुदान नियम के लिए दो किश्त निर्धारित किया गया है. प्रथम किश्त (कुल आवंटन का पचास प्रतिशत) अप्रैल 15 तारीख तक एवं द्वितीय व अंतिम किश्त अक्टूबर 15 तारीख तक पूर्व में दिये गये अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् विमुक्त किया जायेगा"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2015

क्रमांक/7123.—राज्य शासन, एतद्द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार नीति आयोग (सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण अनुभाग) के पत्र क्रमांक/M-11011/08/2015-SJ & SW दिनांक 20-04-2015 के द्वारा जारी मार्ग दर्शिका कंडिका 3.5 के अधीन राज्य स्तररीय अनुसूचित जाति विकास परिषद का गठन करता है :—

1.	माननीय मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन	अध्यक्ष
2.	माननीय मंत्री, छ.ग. शासन, आ.जा. तथा अनु. जा. विकास	उपाध्यक्ष
3.	माननीय-सांसद (अनु.जा.वर्ग से)-एक शासन द्वारा नामित	सदस्य
4.	माननीय विधायक (अनु.जा.वर्ग से)-तीन शासन द्वारा नामित	सदस्य
5.	मुख्य सचिव	सदस्य
6.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव-सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, जनशक्ति नियोजन-तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण, नगरीय प्रशासन विभाग, वन विभाग, वित्त विभाग.	सदस्य
7.	सचिव छ.ग. शासन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग	सदस्य/सचिव

परिषद के कर्त्तव्य :—

1. राज्य सरकार के विभागों को अनुसूचित जाति उपयोजना से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर सलाह देना.
2. राज्य सरकार के विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के समुचित प्लानिंग एवं क्रियान्वयन हेतु सुझाव देना.
3. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से प्राप्त एस.सी.एस.पी. के वार्षिक प्रस्ताव पर अनुमोदन देना.
4. ऐसे अन्य कार्यों को संपादित करना जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गये हैं.
5. उक्त परिषद वर्ष में कम से कम तीन बार उपयोजना के कार्यों की समीक्षा करेगी.

नया रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2015

क्रमांक/7125.—राज्य शासन, एतद्द्वारा अनुसूचित जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार नीति आयोग (सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण अनुभाग) के पत्र क्रमांक/M-11011/08/2015-SJ & SW दिनांक 20-04-2015 के द्वारा जारी मार्ग दर्शिका कंडिका 1.11.2 के अधीन कार्यकारिणी समिति का गठन करता है :—

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/ महिला बाल विकास विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग/उच्च शिक्षा विभाग/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/गृह विभाग/लोक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ऊर्जा विभाग/कृषि विभाग/वित्त विभाग/खाद्य विभाग/ग्रामोद्योग विभाग/उच्च शिक्षा विभाग/ जनशक्ति नियोजन विभाग/नगरीय कल्याण/वन विभाग.	सदस्य
3.	सचिव छ.ग. शासन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग	सदस्य/सचिव

2. कार्यकारिणी के कार्य निम्नानुसार होंगे :—
   1. अनुसूचित जनजाति उपयोजना के वार्षिक योजना का अनुमोदन.
   2. अनुसूचित जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन का निगरानी करना.
   3. अनुसूचित जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना.

कार्यकारिणी समिति उपयोजना के उपरोक्त सम-सामयिक विषयों पर रिपोर्ट आदिम जाति सलाहकार परिषद को प्रस्तुत करेगी. कार्यकारिणी की बैठक प्रत्येक तीन माह में आयोजित की जावेगी.

नया रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2015

क्रमांक/7127.—राज्य शासन, एतद्द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार नीति आयोग (सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण अनुभाग) के पत्र क्रमांक/M-11011/08/2015-SJ & SW दिनांक 20-04-2015 के द्वारा जारी मार्ग दर्शिका अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन की निगरानी हेतु जिला स्तरीय योजना, सतर्कता, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण समिति का गठन करता है :—

माननीय सांसद	—	अध्यक्ष
सदस्य	—	जिले के सभी माननीय विधायक
सदस्य सचिव	—	जिला कलेक्टर
सदस्य	—	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
सदस्य	—	जिला पंचायत अध्यक्ष
सदस्य	—	एक प्रतिनिधि सामाजिक कार्यकर्ता जिसका नामांकन जिले के कलेक्टर द्वारा किया जाना है
सदस्य	—	एक प्रतिनिधि अ.जा./अनु.ज.जा. महिला जिसका नामांकन कलेक्टर द्वारा किया जाना है
सदस्य	—	जिले के विकास विभाग से संबंधित समस्त विभाग प्रमुख.

समिति के कर्त्तव्य :—
1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के वार्षिक योजना का अनुमोदन करना.
2. जिला स्तर पर अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन प्रभावी निगरानी करना.
3. समिति जिले के विभिन्न विभागों तथा राज्य सरकार के बीच समन्वय का काम भी करेगी.
4. योजना का क्रियान्वयन गाईड लाईन के अनुसार किया जायेगा.
5. समिति योजना के क्रियान्वयन की प्रगति की निगरानी करेगी ताकि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 23 जुलाई 2015

क्रमांक 3/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	लोहारी प.ह.नं. 09	1.024	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड.	कुम्हारी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 जुलाई 2015

क्रमांक 4/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	करगी कला प.ह.नं. 24	0.756	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड.	कुम्हारी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 जुलाई 2015

क्रमांक 5/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	मनौरा प.ह.नं. 04	0.182	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड.	कुम्हारी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 जुलाई 2015

क्रमांक 7/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	मरवाही प.ह.नं. 04	0.343	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड.	कुम्हारी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 जुलाई 2015

क्रमांक 8/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	पीपर डोल प.ह.नं. 24	0.644	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड.	पीपर डोल एनीकट, शीर्ष कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 जुलाई 2015

क्रमांक 9/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	धनौरा प.ह.नं. 04	0.923	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड.	कुम्हारी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 जुलाई 2015

क्रमांक 9/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	कुम्हारी प.ह.नं. 08	2.551	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड.	कुम्हारी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 जुलाई 2015

क्रमांक 10/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	पीपर डोल प.ह.नं. 24	0.396	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड.	कुम्हारी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 जुलाई 2015

क्रमांक 27/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	सागर प.ह.नं. 32	0.092	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र.-1, बिलासपुर (छ.ग.)	काठाकोनी मेड़पार मार्ग का चौड़ीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 जुलाई 2015

क्रमांक 28/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	कुरेली प.ह.नं. 34	0.247	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र.-1, बिलासपुर (छ.ग.)	काठाकोनी मेड़पार मार्ग का चौड़ीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 जुलाई 2015

क्रमांक 29/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	लाखासार प.ह.नं. 32	1.296	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र.-1, बिलासपुर (छ.ग.)	काठाकोनी मेड़पार मार्ग का चौड़ीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 जुलाई 2015

क्रमांक 30/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	खजुरी प.ह.नं. 34	0.032	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र.-1, बिलासपुर (छ.ग.)	काठाकोनी मेड़पार मार्ग का चौड़ीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 जुलाई 2015

क्रमांक 1/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	माड़ाकोट प.ह.नं. 11	17.132	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड.	माड़ा कोट जलाशय डुबान एवं नहर कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 जुलाई 2015

क्रमांक 2/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	चिचगोहना प.ह.नं. 04	1.611	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड.	कुम्हारी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 जुलाई 2015

क्रमांक 04/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तुरी	गतौरा प.ह.नं. 20	1.412	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र.-1, बिलासपुर (छ.ग.)	बेलतरा से मोपका-खैरा-गतौरा-जयराम-नगर मार्ग निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 जुलाई 2015

क्रमांक 05/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तुरी	भिलाई प.ह.नं. 23	0.342	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र.-1, बिलासपुर (छ.ग.)	बेलतरा से मोपका-खैरा-गतौरा-जयराम-नगर मार्ग निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 जुलाई 2015

क्रमांक 31/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	सांवाताल प.ह.नं. 33	0.144	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र.-1, बिलासपुर (छ.ग.)	काठाकोनी मेड़पार मार्ग का चौड़ीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बैकुण्ठपुर, दिनांक 8 जून 2015

क्रमांक/3721/भू-अर्जन/2014.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	भरतपुर	मेंहदौली	2.54	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.)	बिछली झरिया व्यपवर्तन योजना एवं फीडर वीयर योजना के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भरतपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

बैकुण्ठपुर, दिनांक 23 जुलाई 2015

क्रमांक/4632/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	भरतपुर	पंडरी	2.75	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.)	खर्री व्यपवर्तन योजना के लिए नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भरतपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जगदलपुर, दिनांक 25 मई 2015

क्रमांक क/भू-अर्जन/04/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	लोहण्डीगुड़ा	ककनार प.ह.नं. 1	0.04	पुलिस अधीक्षक, बस्तर जिला जगदलपुर.	पुलिस चौकी निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी जगदलपुर/पुलिस अधीक्षक बस्तर जिला जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

दुर्ग, दिनांक 25 अगस्त 2015

क्रमांक/82/अ.भू-अ.प्र./03/अ-82/वर्ष 2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	कंडरका प.ह.नं. 52	0.06	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, दुर्ग (छ.ग.).	ग्राम पहुंच मार्ग हेतु सड़क निर्माण योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धमधा, मु. दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. शंगीता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुंद, दिनांक 7 सितम्बर 2015

क्रमांक/284/क/भू-अर्जन/16/अ/82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	पिथौरा	भुरकोनी प.ह.नं. 24	1.13	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	भुरकोनी-चौकबेड़ा मार्ग पर मचका नाला में पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 7 सितम्बर 2015

क्रमांक/286/क/भू-अर्जन/17/अ/82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	पिथौरा	चौकबेड़ा प.ह.नं. 23	0.76	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	भुरकोनी-चौकबेड़ा मार्ग पर मचका नाला में पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 7 सितम्बर 2015

क्रमांक/288/क/भू-अर्जन/18/अ/82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	पिथौरा	बेलर प.ह.नं. 17	0.29	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	घोंच-बेलर मार्ग पर सुखा नाला में पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 7 सितम्बर 2015

क्रमांक/290/क/भू-अर्जन/19/अ/82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	पिथौरा	घोंच प.ह.नं. 16	0.46	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	घोंच-बेलर मार्ग पर सुखा नाला में पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर, दिनांक 13 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./3645/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर	वाड्रफनगर	सुलसूली प.ह.नं. 27	17.12	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र. 2, रामानुजगंज, जिला-बलरामपुर (छ.ग.)	सुलसूली योजना के डुब क्षेत्र बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 13 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./3646/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर	वाड्रफनगर	बड़कागांव प.ह.नं. 36	5.95	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र. 2, रामानुजगंज, जिला-बलरामपुर (छ.ग.)	ग्राम-बड़कागांव सुखनई बांध से प्रभावित नहर क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 13 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./3647/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर	वाड्रफनगर	शारदापुर (सु) प.ह.नं. 12	10.24	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र. 2, रामानुजगंज, जिला-बलरामपुर (छ.ग.)	शारदापुर (सु) सुलसूली जलाशय योजना के डूब क्षेत्र बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 13 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./3648/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर	वाड्रफनगर	ककनेशा प.ह.नं. 12	14.49	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र. 2, रामानुजगंज, जिला-बलरामपुर (छ.ग.)	ककनेशा जलाशय योजना के डूब क्षेत्र बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 13 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./3649/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर	वाड्रफनगर	सुलसूली प.ह.नं. 27	4.07	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र. 2, रामानुजगंज, जिला-बलरामपुर (छ.ग.)	सुलसूली जलाशय योजना के डुब क्षेत्र नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 13 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./3650/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर	वाड्रफनगर	कोटराही प.ह.नं. 9 अ	8.51	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र. 2, रामानुजगंज, जिला-बलरामपुर (छ.ग.)	कोटराही जलाशय योजना के डुब क्षेत्र नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलेक्स पाल मेनन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 31 अगस्त 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	डोलेसरा प.ह.नं. 35	179.724	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 7 अगस्त 2015

क्रमांक/29/भू-अर्जन/वाचक/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-जैतपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.165 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
50/2	0.073
93/2	0.113
53	0.036
55	0.081
54/1	0.017
71	0.131
235/2	0.041
54/2	0.017
54/3	0.017
54/4	0.018
37	0.081
36/6	0.008
36/1	0.040
36/2	0.053
36/3	0.020
35	0.036
34/1	0.060
4, 5/1	0.105
166/2	0.016
167/1	0.126
215/4	0.061
33	0.162
28/1	0.020
28/2	0.016
28/3	0.024
28/4	0.016
28/5	0.016
28/6	0.032
27	0.053
219/2	0.158
193/3, 195/3, 196/3, 197/3	0.069
26	0.101
24/3	0.040
1/1	0.020
3	0.020
655/6, 656/6	0.032
34/2	0.060
4, 5/2	0.020
236/1	0.073
226/1, 228/2	0.012
232/1	0.069
193/1, 195/1, 196/1, 197/1	0.061
11, 12, 13, 14/3	0.133
232/2	0.069
193/2, 195/2, 196/2, 197/2	0.075
233	0.089
234	0.109
236/2	0.089
237	0.277
94/1	0.059
1/2, 2/1	0.052
168/1	0.053
187/1	0.020
166/1	0.015
215/3	0.020
167/2	0.125
215/2	0.020
166/3	0.015
182, 183, 184	0.004
166/4	0.015
168/2	0.052
186/1	0.049
188	0.028
218	0.060
235/1	0.040
225	0.121
226, 228/1	0.028
230/3, 230/4, 655/4, 656/4	0.040
230/2	0.081

	(1)	(2)
	231	0.203
योग	70	4.165

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मिरौनी बॅराज के अंतर्गत डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 7 अगस्त 2015

क्रमांक/31/भू-अर्जन/वाचक/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-खपरीडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.667 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	493	0.085
	492	0.081
	491/1	0.012
	491/2	0.013
	491/3	0.012
	491/4	0.012
	490/1	0.012
	490/2	0.012
	488/1	0.033
	488/2	0.016
	487	0.154
	486	0.121
	485	0.040
	484	0.020
	482/1	0.008
	482/2	0.012
	482/3	0.004
	482/4	0.012
	482/5	0.004
	482/6	0.004
योग	20	0.667

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मिरौनी बॅराज के अंतर्गत डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 7 अगस्त 2015

क्रमांक/33/भू-अर्जन/वाचक/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कोसमकुण्डा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.982 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1113	0.101
1117/2	0.040
1117/1	0.012
1105	0.020
1108	0.004
1114, 1115	0.101

(1)	(2)
1118	0.036
1121	0.008
1107	0.012
1104/8	0.028
1106	0.016
1104/5	0.008
1104/6	0.012
1104/2ख	0.004
1104/2क	0.004
1103/1	0.008
1102	0.012
2/18ख	0.004
1103/2	0.016
2/29	0.007
1101/1	0.020
2/19	0.040
2/1	0.020
2/2	0.020
2/3	0.020
2/4	0.004
2/5	0.020
1104/7	0.020
2/6	0.007
2/7	0.020
28	0.012
2/8	0.010
2/9	0.020
2/10	0.005
2/11	0.020
2/12	0.010
2/31	0.010
2/13	0.008
2/16	0.016
2/21	0.012
2/22	0.012
2/15	0.020
2/17	0.020
2/18क	0.010
20	0.016
2/20ख	0.012
2/24	0.004
2/25	0.008
2/26	0.005
2/27	0.005
2/28	0.005
2/30	0.006
10	0.008
5	0.012
6	0.016
21	0.012
22	0.008
23, 24	0.008
25/1	0.008
25/2	0.008
26	0.004
27	0.008
योग 62	0.982

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मिरौनी बॅराज के अंतर्गत डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 7 अगस्त 2015

क्रमांक/35/भू-अर्जन/वाचक/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-उड़काकन
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.708 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3/1	0.012
3/2	0.012
5/1	0.008
6/1	0.004
15/2	0.004

(1)	(2)
7	0.004
8	0.040
13	0.004
12	0.024
14	0.004
24	0.012
16	0.016
51/1	0.020
17	0.004
18	0.004
107	0.036
145	0.004
19/1	0.012
117/1	0.012
22/2	0.024
22/1	0.004
22/3	0.004
23/4	0.004
25	0.016
26/1	0.012
42	0.008
44	0.040
47	0.036
65	0.004
71/1	0.004
68	0.024
64/1	0.020
125/1	0.004
66/1	0.008
67	0.020
81	0.012
82/1	0.008
83/1	0.012
85/1	0.032
133	0.004
86/1	0.020
98	0.040
99/1	0.008
99/2	0.007
108	0.045
112/1	0.008
113/2	0.008
114/1	0.008
117/2	0.012
120/1	0.004
121/1	0.008
124	0.008
136/1	0.004
137/1	0.004
143/1	0.004
144/1	0.004
योग 56	0.708

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मिरौनी बॅराज के अंतर्गत डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 7 अगस्त 2015

क्रमांक/37/भू-अर्जन/वाचक/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पण्ड्रीपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.924 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
511	0.020
510, 57, 58	0.004
509	0.081
506	0.036
497/1	0.020
501/2, 502/2, 504/2	0.024
505/1	0.020
501/1, 502/1, 504/1	0.028
497/2	0.020

(1)	(2)
501/3, 502/3, 504/3	0.016
83	0.040
72, 73	0.024
82	0.097
79	0.040
20	0.004
44	0.012
35/1	0.016
74	0.008
60/1	0.008
70/1	0.008
70/2	0.008
69/1	0.004
69/2	0.004
5	0.012
65, 56	0.008
59	0.024
47	0.016
46, 52	0.020
48	0.020
4	0.008
39, 43	0.012
41	0.008
42	0.012
34/1	0.004
36/1	0.004
35/2	0.008
32	0.012
31/4	0.008
30	0.016
26	0.016
27	0.020
25	0.024
21/2	0.016
6/2, 17	0.008
14/2	0.004
6/1, 17	0.008
14/1	0.006
2, 3	0.020
16	0.004
19	0.004
15/1	0.008
13/2	0.004
13/1	0.004
13/3	0.004
12/1	0.004
12/2	0.004
12/3	0.004
12/4	0.004
505/3	0.012
505/14, 505/15	0.012
योग 60	0.924

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मिरौनी बॅराज के अंतर्गत डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

कांकेर, दिनांक 25 जून 2015

क्रमांक/799/नग्रानि/वि.यो.-2015.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) धारा 15 की उपधारा (1) के अनुसरण में भानुप्रतापपुर निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 570/नग्रानि/2015 दिनांक 13-03-2015 द्वारा किया गया था.

अब एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन भानुप्रतापपुर निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों का वर्तमान भूमि उपयोग एवं रजिस्टरों को तदानुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किया जाता है, तथा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसार में इस

सूचना को छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का साक्ष्य होगा, कि उक्त मानचित्र सम्यक रूप से तैयार एवं अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

भानुप्रतापपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम कराठी, चौगेल एवं मुल्ला ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम मुल्ला, भानुप्रतापपुर, रानवाही एवं नारायणपुर ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम नारायणपुर, कन्हार गांव एवं कराठी ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम कराठी की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक अवलोकन हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल :— कार्यालय, नगर पंचायत, भानुप्रतापपुर.

No. /799/T.C.P./2015.—The existing land use map and register for the Bhanupratappur Planning Area was published under sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam (No. 23 of 1973) vide notice no. 570/T.C.P./2015 Kanker dated 13-03-2015.

Therefore a notice is hereby given for the general information of the public that existing land use map and register of Bhanupratappur planning Area prepared and published are duly adopted under the provision of sub section (3) of the section 15 of he said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Gazette under the provision of sub section (4) of section 15 of the said Adhiniyam which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps and registers has been duly prepared and adopted.

SCHEDULE

Limits of Bhanupratappur Planning Area

NORTH : Villages Karathi, Chaugel & Mulla upto Northern limit of Village.

EAST : Mulla, Bhanupratappur, Ranwahi & Narayanpur upto the Eastern limit of Village.

SOUTH : Narayanpur, Kanhargoun & Karathi upto Southern limit of Village.

WEST : Village Karathi upto the Western limit of Village Mahud.

The said adopted maps and register shall be availabe for inspection or general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Place of Inspection :— Office of the Nager Panchayat, Bhanupratappur.

पी. एल. दिल्लीवार,
सहायक संचालक.

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 2 जुलाई 2015

क्रमांक/4006/ई.एल.यू./नग्रानि./2015.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) धारा 15 (1) के अनुसरण में पेन्डरा निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 877 बिलासपुर दिनांक 12-02-2015 द्वारा किया गया था.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्व-साधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट पेन्डरा निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तद्नुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

उत्तर में : ग्राम पतगंवा, बन्धा एवं बचरवार की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम बचरवार एवं पेन्डरा की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम पेन्डरा की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम पेन्डरा एवं पतगंवा की पूर्वी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल :— कार्यालय, संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, नया कम्पोजिट बिल्डिंग, बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.).

No. /4006/E.L.U./T&CP./2015.—The existing land use map and register for the Pendra planning Area existing land use map and register was published under Sub section (1) of Section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) vide Notice No. 877 date 12-02-2015 of Bilaspur.

Therefore, a notice is hereby given for general information of the public that the existing Land use map and register of Pendra Planning Area existing land use map and register so prepared and published are duly adopted by the Director, Town & Country Planning, under the provision of sub-section (3) of section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent of its publication in Chhattisgarh Gazette, under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above map and register have been duly prepared and adopted on dt.

INDEX

NORTH : Village Patganwa, Bandha and upto the North limit of Bacharwar.
WEST : Village Bacharwar and upto the West limit of Pendra
SOUTH : Village Pendra upto the South limit.
EAST : Village Pendra and upto the East limit of Patganwa.

The said adopted maps and register shall be availabe for inspections of general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Inspection Site :— Office of the Joint Director Town & Country Planning New Composite Building, Collectorate Premises Bilaspur.

एम. के. गुप्ता,
संयुक्त संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बलौदाबाजार (छ.ग.)

बलौदाबाजार, दिनांक 2 मई 2015

क्रमांक/901/ELU/नग्रानि/2015.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि बिलाईगढ़ निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक-एक प्रति नगर पंचायत बिलाईगढ़/प्रदर्शनी स्थल, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ एवं कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश बलौदाबाजार के कार्यालयों में दिनांक 02-05-2015 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. बिलाईगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में अंकित है.

अनुसूची

बिलाईगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम लुकापारा, गोविंदबन एवं छपोरा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम छपोरा एवं बांसउरकुली ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम बांसउरकुली, टाड़ापारा एवं रमतला ग्रामों की दक्षिण सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम रमतला, खजुरी एवं लुकापारा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थल पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर लिखित रूप से कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बलौदाबाजार (छ.ग.) को या निरीक्षण स्थल पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो तो सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बलौदाबाजार द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय नगर पंचायत बिलाईगढ़.

No. 901/ELU/T&CP/2015.—Notice is hereby given that the existing land use maps and register in Bilaigarh Planning Area has been prepared under sub section (i) of section 15 (i) of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from 02-05-2015 during office hour in the office of Nagar Panchayat Bilaigarh/Exhibition Venue, office of Sub Divisional Officer (Revenue) Bilaigarh & office of the Assistant Director, Town & Country Planning Balodabazar the limit of the Bilaigarh Planning Area is defined in the schedule given below :—

SCHEDULE

Limit of Bilaigarh Planning Area

NORTH : Village Lukapara, Govindban and upto Northern limit of Chhapora.
WEST : Village Chhapora and upto Western limit of Bansurkuli.
SOUTH : Village Bansurkuli, Tadapara and upto Southern limit of Ramtala.
EAST : Village Ramtala, Khajuri and upto Eastern limit of Lukapara.

If there be any objection or suggestion with the exising land use map so prepared it should be send in writing to the Assistant Directior, Town and Country Planning, Balodabazar C.G. or Inspection site writing a period of thirty days from the that date of publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before specified above will be considered by the Assistant Director, Town & Country Planning, Balodabazar C.G.

Inspection Site :— Office of the Nagar Panchayat Bilaigarh.

बलौदाबाजार, दिनांक 4 जुलाई 2015

क्रमांक/971/ELU/नग्रानि/2015.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि पलारी निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक-एक प्रति नगर पंचायत पलारी/प्रदर्शनी स्थल, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बलौदाबाजार एवं कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश बलौदाबाजार के कार्यालयों में दिनांक 04-07-2015 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. पलारी निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में अंकित है.

अनुसूची

पलारी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम दतान, कोसमंदी, रसौटा, बिनौरी एवं छेरकाडीह ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम छेरकाडीह, बलौदी एवं चोरहाडीह ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम चोरहाडीह, लकड़ियां, पहंदा, कुकदा एवं दतान ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम दतान एवं कोसमंदी ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थल पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर लिखित रूप से कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश बलौदाबाजार (छ.ग.) को या निरीक्षण स्थल पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो तो सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बलौदाबाजार द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय नगर पंचायत पलारी.

No. 971/ELU/T&CP/2015.—Notice is hereby given that the existing land use maps and register in Palari Planning Area has been prepared under sub section (i) of section 15 (i) of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from 04-07-2015 during office hour in the office of Nagar Panchayat Palari/Exhibition Venue, office of Sub Divisional Officer (Revenue) Balodabazar & office of the Assistant Director, Town & Country Planning Balodabazar the limit of the Palari Planning Area is defined in the schedule given below :—

SCHEDULE

Limit of Palari Planning Area

NORTH : Village Datan, Kosmandi, Rasota and upto Northern limit of Chherkadih.
WEST : Village Chherkadih, Balodi and upto Western limit of Chorhadih.
SOUTH : Village Chorhadih, Lakadiya, Pahnda, Kukda and upto Southern limit of Datan.
EAST : Village Datan and upto Eastern limit of Kosmandi.

If there be any objection or suggestion with the exising land use map so prepared it should be send in writing to the Assistant Directior, Town and Country Planning, Balodabazar C.G. or Inspection site writing a period of thirty days from the that date of publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before specified above will be considered by the Assistant Director, Town & Country Planning, Balodabazar C.G.

Inspection Site :— Office of the Nagar Panchayat Palari.

बी. एल. बांधे,
सहायक संचालक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जगदलपुर जिला बस्तर

जगदलपुर, दिनांक 26 जून 2015

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखें)

क्रमांक 1346/भू-अर्जन/01/अ-82/2014-15.— राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके लिए उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जगदलपुर, जिला बस्तर को अधिसूचना क्रमांक 01/भू-अर्जन/अ-82/2014-15 जगदलपुर, दिनांक 13 फरवरी 2015 (छत्तीसगढ़ राजपत्र में 13 मार्च, 2015 को प्रकाशित) द्वारा उक्त अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लान्ट, नगरनार परियोजना के लिए जल परिवहन बाबत् भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकारों का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 13 मार्च 2015 को प्रकाशित की गई है. कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार के कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को दी गई है, और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतदद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करता है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि उपयोग का अधिकार अभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/प.ह.नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (5)
बस्तर	जगदलपुर	धनपूंजी	528/1	0.07
		प.ह.नं. 28	528/2	0.06
			531	0.08
		योग	**03**	**0.21**

जगदलपुर, दिनांक 26 जून 2015

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखें)

क्रमांक 1349/भू-अर्जन/02/अ-82/2014-15.— राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके लिए उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जगदलपुर, जिला बस्तर को अधिसूचना क्रमांक 02/भू-अर्जन/अ-82/2014-15

जगदलपुर, दिनांक 13 फरवरी 2015 (छत्तीसगढ़ राजपत्र में 13 मार्च, 2015 को प्रकाशित) द्वारा उक्त अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लान्ट, नगरनार परियोजना के लिए जल परिवहन बाबत् भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकारों का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 13 मार्च 2015 को प्रकाशित की गई है. कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार के कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को दी गई है, और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करता है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि उपयोग का अधिकार अभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बस्तर	जगदलपुर	चोकावाड़ा	626	0.04
		प.ह.नं. 29	630	0.05
			632	0.07
			636	0.08
			637/3	0.02
			637/2	0.04
			637/1	0.02
			489/1	0.02
			493/1	0.04
			490	0.06
			493/2	0.04
			611	0.05
			610/2	0.005
			610/3	0.012
			610/4	0.005
			610/6	0.013
			610/7	0.010
		योग	**17**	**0.575**

एस. आर. कुर्रे,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं
सक्षम प्राधिकारी.

छत्तीसगढ़ नि:शक्तजन वित्त एवं विकास निगम, रायपुर
पूराना डीआरडीए भवन, कलेक्ट्रेट परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2015

क्रमांक/303/2015/823.—छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्र. ई-1-03-2025/1/2, दिनांक 10-07-2015 के परिपालन मेरे द्वारा आज दिनांक 18-07-2015 को प्रबंध संचालक, छ.ग. नि:शक्तजन वित्त एवं विकास निगम रायपुर के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है.

सी. आर. प्रसन्ना,
भा.प्र.से.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2015

क्रमांक 2385/2553/2013/32.—छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, अधिनियम 1972 (क्रमांक-3, 1973) की धारा 103 की उप धारा (3) सहपठित धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल विनियम 1998 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त विनियम में.—

1. नियम 5 के खण्ड (स) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए.

   "मण्डल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति अधिवार्षिकी आयु 62 वर्ष होगी."

2. यह 31 अगस्त 2013 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

No. 2385/2553/2013/32.—In exercise of the power conferred by Sub-section (3) of Section 103, read with Section 17 of the Chhattisgarh Grih Nirman Mandal Adhiniyam 1972 (No. 3 of 1973) Chhattisgarh Housing Board in consultation with State Government hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Grih Nirman Mandal Regulations, 1998 namely :—

AMENDMENT

In the said regulation's :—

1. For clause (c) of rule 5th following clause shall be substituted namely :—
   "The age of superannuation of the Officers and employees of the Board shall be Sixty Two years."

2. The amendments shall be deemed to have come into force with effect from 31st August 2013.

सोनमणि बोरा,
आयुक्त.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 6th August 2015

No. 587/Confdl./2015/II-2-4/2002.—The following Officiating/Probationary* District Judges of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) of the table below, are, hereby, confirmed in Higher Judicial Service from the date mentioned in column No. (3) :—

TABLE

Sl .No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of Confirmation (3)
1.	Shri Suresh Kumar Soni	01-06-2014
2.	Shri Arvind Kumar Sinha	01-03-2015
3.	Shri Blacious Toppo	01-03-2015
4.	Smt. Neeta Yadav	01-03-2015
5.	Shri Sirajudding Qureshi*	01-03-2015
6.	Smt. Anita Dahariya	01-03-2015
7.	Shri Abdul Zahid Qureshi	01-03-2015
8.	Smt. Pragya Pachouri *	01-03-2015
9.	Shri Manish Kumar Naidu	01-03-2015
10.	Shri Alok Kumar (Sr.)*	01-05-2015
11.	Shri Yogesh Pareek*	01-06-2015
12.	Shri Uttara Kumar Kashyap*	01-08-2015
13.	Shri Govind Narayan Jangade*	01-08-2015

Bilaspur, the 6th August 2015

No. 588/Confdl./2015/II-2-4/2002.—The following Officiating/Probationary* District Judges of Higher Judicial Service, are hereby, issued certificate of confirmation in terms of sub-rule (5) of Rule 9 of the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment & Conditions of Service) Rules, 2006 :—

TABLE

Sl .No. (1)	Name of Judicial Officer (2)
1.	Shri Brijendra Kumar Shastri*
2.	Shri Satyabhama Ajay Dubey
3.	Shri Chandra Kumar Ajgalley
4.	Shri Maneesh Kumar Thakur
5.	Shri Jantaram Banjara
6.	Smt. Kiran Chaturvedi
7.	Shri Vijay Kumar Hota
8.	Shri Shakti Singh Rajput*
9.	Smt. Dhaneshwari Sidar
10.	Shri Hirendra Singh Tekam
11.	Shri Satyendra Kumar Sahu*

(1)	(2)
12.	Shri Jitendra Kumar
13.	Shri Mohd. Rizwan Khan
14.	Shri Mansoor Ahmed
15.	Shri Chhameshwar Lal Patel
16.	Smt. Vinita Warner
17.	Shri Dileshwar Singh Rathiya
18.	Smt. Girija Devi Meravi

बिलासपुर, दिनांक 13 अगस्त 2015

क्रमांक 128/दो-3-16/2003.—श्री अनिल कुमार शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ दिनांक 31-07-2015 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (Clarification) के आलोक में, प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
अरविन्द सिंह चन्देल, रजिस्ट्रार जनरल.

Bilaspur, the 22nd August 2015

No. 26/Comp./2015.—WHEREAS a Departmental Enquiry is contemplated against Shri Vinod Kumar Dewangan, VI Additional District & Sessions Judge, Raipur for his grave misconduct.

AND WHEREAS serious nature of act of misconduct warrants his suspension from service.

Therefore, in exercise of the powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub-rule (1) of Rule 9 of the Chhattisgarh Civil Services (Classificaiton, Control and Appeal) Rules, 1966, the High Court hereby places Shri Vinod Kumar Dewangan, VI Additional District & Sessions Judge, Raipur under suspension with immediate effect in contemplation of the Departmental Enquiry. During period of suspension or until further orders the Head Quarter of Shri Vinod Kumar Dewangarn shall be at Raipur. The subsistence allowance shall be paid to him as per rules.

Bilaspur, the 28th August 2015

No. 6850/Vigilance/2015.—WHEREAS a Departmental Enquiry is contemplated against Shri Pramod Singh Paraste, Civil Judge Class-I, Manendragarh, District Koriya (Baikunthpur) for his grave misconduct.

AND WHEREAS serious nature of act of misconduct warrants his suspension from service.

Now pursuant to powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub-rule (1) of Rule 9 of the Chhattisgarh Civil Services (Classificaiton, Control and Appeal) Rules, 1966, the High Court hereby places Shri Pramod Singh Paraste, Civil Judge Class-I, Manendragarh, District Koriya (Baikunthpur) under suspension with immediate effect in contemplation of the Departmental Enquiry. During period of suspension or until further orders the Head Quarter of Shri Pramod Singh Paraste shall be at Manendragarh, District Koriya. The subsistence allowance shall be paid to him as per rules.

By order of the High Court,
RAJANI DUBEY, Registrar (Vigilance).

Bilaspur, the 19th August 2015

No. 714/L.G./2015/II-3-40/2007.—Shri Arvind Kumar Verma, Additional Director, Chhattisgarh State Judicial Academy, High Court of Chhattisgarh Bilaspur is hereby, granted earned leave for 01 day on 01-06-2015 in continuation of summer vacation along with permission to leave headquarters from 16-05-2015 till the morning of 02-06-2015 and earned leave for 02 days on 13-07-2015 & 14-07-2015 along with permission to leave headquarters from 11-07-2015 to 14-07-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Verma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+13 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 19th August 2015

No. 715/L.G./2015/II-2-04/2009.—Shri Ashok Kumar Sahu, District & Sessions Judge, Jashpur is hereby, granted earned leave for 19 days from 14-07-2015 to 01-08-2015 along with permission to leave headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sahu, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 272 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 19th August 2015

No. 716/L.G./2015/II-2-05/2006.—Shri Ravishankar Sharma, Registrar (I & E) and I/c S & A Cell, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 02 days on 16-07-2015 & 17-07-2015 along with permission to leave headquarters from 16-07-2015 to 19-07-2015 and eanred leave for 01 days on 31-07-2015 along with pemission to leave headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sharma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+07 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 19th August 2015

No. 718/L.G./2015/II-3-26/2004.—Shri Narendra Singh Chawla, the then Judge, Family Court, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 05 days from 23-07-2015 to 27-07-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Chawla, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 19th August 2015

No. 719/L.G./2015/II-2-3/2000.—Smt. Anuradha Khare, I Additional Principal Judge, Family Court, Raipur is hereby, granted earned leave for 05 days from 03-08-2015 to 07-08-2015 along with permission to leave headquarters.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Khare, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 289 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 19th August 2015

No. 720/L.G./2015/II-2-17/2006.—Shri A. L. Joshi, District & Sessions Judge, Koriya (Baikunthpur) is hereby, granted earned leave for 06 days from 24-07-2015 to 29-07-2015 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 23-07-2015 till before the Court hours of 30-07-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Joshi, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+09 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 19th August 2015

No. 721/L.G./2015/II-2-19/2006.—Shri R.C.S. Samant, District & Sessions Judge, Raipur is hereby, granted earned leave for 09 days from 03-08-2015 to 11-08-2015 along with permission to leave headquarters from 02-08-2015 to 11-08-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Samant, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+06 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 28th August 2015

No. 723/L.G./2015/II-2-24/2015.—Shri Venseslas Toppo, Officer-On-Special Duty, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 12 days from 29-06-2015 to 10-07-2015 along with permission to leave headquarters from 28-06-2015 to 11-07-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Toppo, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 79 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 28th August 2015

No. 724/L.G./2015/II-3-27/2007.—Smt. Neeta Yadav, I Additional Principal Judge, Family Court, Durg is hereby, granted earned leave for 04 days from 17-08-2015 to 20-08-2015 along with permission to leave headquarters from 15-08-2015 to 20-08-2015.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Yadav, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+10 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

By order of the High Court,
MANSOOR AHMED, Additional Registrar (ADMN.).